# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(20)(2) रानिआ / लेखा / 2019–20 / 203 दिनांक : 7.1.2020

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जिला कलक्टर) अलवर।

**विषयः–पंचायत चुनाव 2020 में नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी के साथ नियुक्त किये जाने वाले पुलिस कार्मिकों को यात्रा भत्ता भुगतान के क्रम में।**

**संदर्भः– आपका पत्र क्रमांकः पं.चुनाव / 2020 / 41 दिनांक 06.01.2020**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यात्रा भत्ता आदेश क्रमांक 3848 दिनांक 07.10.2019 के बिन्दु संख्या–03 के क्रमांक 8 के अनुसार मतदान दलों / जोनल मजिस्ट्रेट के साथ संलग्न पुलिस कर्मियों को ही यात्रा भत्ता देय है। जबकि पंचायत चुनाव 2020 में रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के साथ नियुक्त किये जाने वाले पुलिस कार्मिक सामान्य कानून व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये जाने है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस कर्मियों को यात्रा भत्ता चुनाव मद से देय नहीं है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.1(20)(2) रानिआ / लेखा / 2019–20 / 204 दिनांक : 7.1.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।

07/01/2020
(नारायण लाल मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।



राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान